उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 2019742020091

ग्राम क्रमांक : 201974 ग्राम का नाम / परगना : सिद्दीकपुर(हवेली) तहसील : सदर जनपद : जौनपुर फसली वर्ष : 1427-1432 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनॉक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।							
00915	माँ दुर्गा जी विधालय / / नि. ग्राम	च0 पूर्व च0 पूर्व	1258 1261क	0.0320 0.0400			
			2	0.0720	₹0.00	0	0

कुल गाटे- दो कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव शून्य सात दो शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: ASHOK

सक्षम अधिकारी: MANMEET
तहसील: सदर जनपद: जौनपुर
दिनांक एवं समय: 18-09-2020 11:40:50

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

सत्यापित
18.9.2020

PRINCIPAL/MANAGER
Maa Durga Ji Sr. Sec. Vidyalaya
Siddiquepur, Jaunpur
School No.-70615

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 2019742020091

ग्राम क्रमांक : 201974 ग्राम का नाम / परगना : सिद्दीकपुर(हवेली) तहसील : सदर जनपद : जौनपुर फसली वर्ष : 1427-1432 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका साराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------------------------------2------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00432	माँ दुर्गा जी विद्यालय सिद्दीकपुर जौनपुर ज0प्र0 / सूर्यप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 छविनाथ सिंह / तारापुर कालोनी जौनपुर	1425फ0	1262	0.1180			
		1425फ0	1263मि.	0.0850			
		1425फ0	70मि0	0.2490			
		1425फ0	1251मि0	0.1640			
		1425फ0	1529मि0	0.0690			
		1425फ0	1252	0.3280			
			6	1.0130	₹40.52	0	0

कुल गाटे- छ: कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव शून्य एक तीन शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - चार शून्य दशमलव पाँच दो रुपये

Data Digitally Signed by: ASHOK

सक्षम अधिकारी: MANMEET
तहसील: सदर जनपद: जौनपुर
दिनांक एवं समय: 18-09-2020 11:41:03

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

सत्यापित
18.9.2020
कृष्ण चन्द्र मौर्य
लेखपाल

PRINCIPAL/MANAGER
Maa Durga J. Sr. Sec. Vidyalaya
Siddiquepur, Jaunpur
School No.-70615

5851

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये ATTESTED Rs. 500

INDIA N CIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 243563

कार्यालय– उपनिबन्धक जौनपुर सदर,

जनपद– जौनपुर

1–	दस्तावेज का प्रकार	–	कियायानामा / लीज / व्यवसायिक
2–	सम्पत्ति का विवरण	–	ग्राम–सिद्दीकपुर ,परगना– हवेली,
		–	तहसील–सदर,जिला– जौनपुर, उ०प्र०।
3–	किराया प्रति वर्ष	–	1000 / –रू0
4–	स्टाम्प अदा	–	750 / –रू0
5–	किरायदारी की अवधि	–	29वर्ष 11माह
6–	अवधि पूरा होने पर	–	लीज / किरायेदारी
7–	सम्पत्ति का विवरण	–	ग्राम–सिद्दीकपुर प्लाट नम्बर–1250,1251 में1760वर्गमीटर सम्पूर्ण
8–	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	1760 वर्गमीटर सम्पूर्ण जमीन किराये पर दिये है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 221099

6– चौहद्दी–

पूरब–	माँ दुर्गा जी सिनियर सेकेन्ड्री विद्यालय
पश्चिम–	तालाब
उत्तर–	नाला
दक्षिण–	माँ दुर्गा जी सिनियर सेकेन्ड्री विद्यालय

प्रथम पक्ष पट्टाकर्ता का नाम व पता– सिंह वाहिनी शिक्षा समिति फैजबाग, तारापुर, जौनपुर। प्रबन्धक सूर्यप्रकाश सिंह पुत्र डा0 छविनाथ सिंह फैजबाग, तारापुर, जौनपुर।

द्वितीय पक्ष पट्टा ग्रहिता का नाम व पता– माँ दुर्गा जी सिनियर सेकेन्ड्री विद्यालय सिद्दीकपुर, जौनपुर। प्रबन्धक सूर्यप्रकाश सिंह पुत्र डा0 छविनाथ सिंह फैजबाग, तारापुर, जौनपुर।

चूँकि हम प्रथम पक्ष की एककिता जमीन/प्लाट मौजा सिद्दीकपुर, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जिला– जौनपुर, उ0प्र0 के प्लाट नम्बर–1250 व 1251 में से

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 221100

1760 वर्गमीटर जिसका हम प्रथम पक्ष मालिक काबिज है। उक्त आराजी आज तक हर प्रकार से पाक व साफ है, द्वितीय पक्ष को स्कूल स्थापित करने के लिए जमीन/भूमि की आवश्यकता है। हम प्रथम पक्ष भूमि देने को तैयार हूँ। जिसके कारण द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की उक्त जायदाद को किराये पर लेकर आवश्यकतानुसार अपने खर्च पर स्कूल का निर्माण करेगा। जिस पर हम प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही है और न ही भविष्य में कोई आपत्ति होगी। हम प्रथम पक्ष खूब सोच-समझ कर बिना किसी दबाव नाजायज बखुशी बराजमन्दी बदुरूस्ती होस व हवास अपने स्वस्थ्य दिमाग व आजाद राय से यह चन्द कलमा बतौर किरायेदारी/लीज तहरीर कर दिया कि सनद रहे समय वक्त पर काम आवें। तफसील आराजी वाका मौजा सिद्दीकपुर, परगना हवेली, तहसील- सदर, जिला- जौनपुर प्लाट नम्बर-1250 व 1251 में 1760 वर्गमीटर जिसको हम प्रथम पक्ष ने

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रू.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 232383

उक्त आराजी द्वितीय पक्ष को किराया/लीज पर दिया है, उक्त किरायेदारी के बावत हम प्रथम पक्ष निम्न प्रकार से पाबन्द रहेंगे:–

1– यह कि द्वितीय पक्ष उक्त आराजी का किराया 1,000/–रूपया वार्षिक 29 वर्ष 11माह तक प्रथम पक्ष को देगा और महिने के पहली तारीख से 10 तारीख के बीच नगद/चेक द्वारा देय होगा।

2– यह कि द्वितीय पक्ष उक्त किरायेदारी/लीज वाली जमीन पर स्कूल का निर्माण अपनी खर्चे से करेगा। उसमें हम प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही है।

3– यह कि किरायेदारी की भूमि पर द्वितीय पक्ष को स्कूल स्थापित करके व्यवसाय करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी/ प्रतिनिधियों को न तो कोई आपत्ति वर्तमान में है न तो भविष्य में होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 232386

4– यह कि किरायेदारी की अवधि समाप्त होने पर दोनो पक्षों की सहमति से लीज/किरायेदारी का नवीनीकरण किया जा सकता है।

5– यह कि द्वितीय पक्ष चाहे तो विद्युत कनेक्शन ले सकता है, परंतु उसका सम्पूर्ण व्यय व बिल मरम्मत आदि खर्च का भुगतान द्वितीय पक्ष का स्वंय वहन करना होगा, इसमें हम प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही है।

6– यह कि आज की तारिख से हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष किरायानामा/लीज के आधार पर पाबन्द रहेंगे।

साक्षी–

साक्षी–

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 218307

टाईपकर्ता– सन्दीप विश्वकर्मा कलेक्ट्रेट, जौनपुर।

मसविदाकर्ता– अवनीश कुमार सिंह व0न0 जौनपुर।

दिनांक– 16.09.2020